राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/3761 जयपुर, दिनांक: 28/11/17

आदेश

राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17 के उप नियम (6) के खण्ड (c) में भूखण्ड आवंटी द्वारा भूखण्ड के आवंटन के 2 वर्ष की अवधि में निर्माण नहीं किये जाने की स्थिति में भूखण्ड का आवंटन निरस्त हो जाता है।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि जिन योजनाओं में भूखण्ड आवंटित किये जाते है, उन योजनाओं में आधारभूत सुविधाओं का विकास कार्य यथा सडक निर्माण, जल वितरण एवं विद्युत वितरण व्यवस्था वर्षो तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इस कारण आवंटी द्वारा आधारभूत सुविधाओं के अभाव में भवन निर्माण कर निवास किया जाना संभव नहीं होता है व नियमों में निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य नहीं करवाने के कारण भूखण्ड आवंटन स्वतः निरस्त हो जाने के कारण ऐसे आवंटियों के साथ कठोर व्यवहार किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार न्यायोचित नहीं है।

अतः राज्य सरकार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 सपठित धारा 49 तथा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 32 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, नगर निकायो द्वारा जारी आवंटन पत्र/लीज डीड में अंकित शर्तो में शिथिलता प्रदान करते हुए एतद्द्वारा निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करती है:–

1. राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17 के उप नियम (6) के खण्ड (c) में भूखण्ड आवंटी द्वारा भूखण्ड के आवंटन के दो वर्ष की अवधि में भवन निर्माण नहीं करने पर ऐसे निरस्त भूखण्ड को आवंटन के समय जो भूमि की कीमत जमा कराई गई है उस राशि की एक प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष पुर्नगृहण शुल्क के रूप में वसूल की जाकर भूखण्ड का आवंटन पुनः बहाल किया जावे।
2. उक्त पुर्नगृहण शुल्क भूखण्ड के आवंटन के समय जो भूमि की कीमत जमा कराई गई है उस राशि की बीस प्रतिशत राशि से अधिक नहीं होगी।
3. उक्त पुर्नगृहण शुल्क की गणना हेतु भूखण्ड का कब्जा सुपुर्द करने की दिनांक अथवा ऐसा निरस्त भूखण्ड योजना के जिस सेक्टर में स्थित है उसमें सड़क, पेयजल एवं विद्युत वितरण व्यवस्था संबंधी विकास कार्य करवाने की दिनांक में जो भी बाद की दिनांक है को भूखण्ड स्वतः निरस्त करने की दिनांक मानी जावे।
4. उक्त पुर्नगृहण शुल्क वसूल कर भूखण्ड को पुनः बहाल करने हेतु निम्न को अधिकृत/शक्तियां प्रदत्त की जाती है तथा संबंधित अधिकारी, अधिकारियों को भूखण्ड आवंटन निरस्त होने की तिथि से भूखण्ड आवंटी द्वारा प्रस्तुत भूखण्ड पुर्नगृहण निरामन प्रार्थना पत्र की तिथि तक की अवधि के लिए पुर्नगृहण शुल्क के रूप में राशि वसूल कर भूखण्ड का आवंटन पुनः बहाल करने की शक्तियां होगी संबंधित अधिकारी/अधिकारियों को नियमन हेतु आवंटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्राप्ति होने के एक माह में निस्तारण करना अनिवार्य होगा:–

(i). नगर निगम के मामले में – संबंधित उपायुक्त
(ii). नगर परिषद के मामले में – सभापति एवं आयुक्त
(iii). नगर पालिका के मामले में– अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावशील होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

कमांक:प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/2017/37612-38073 दिनांक: 28/11/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
02. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राज0जयपुर
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगरनिगम/परिषद/पालिकायें राजस्थान।
06. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें राजस्थान।
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
09. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
10. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु
11. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
12. अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी